इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 18 | अंक संख्या 4 | नवंबर, 2025 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

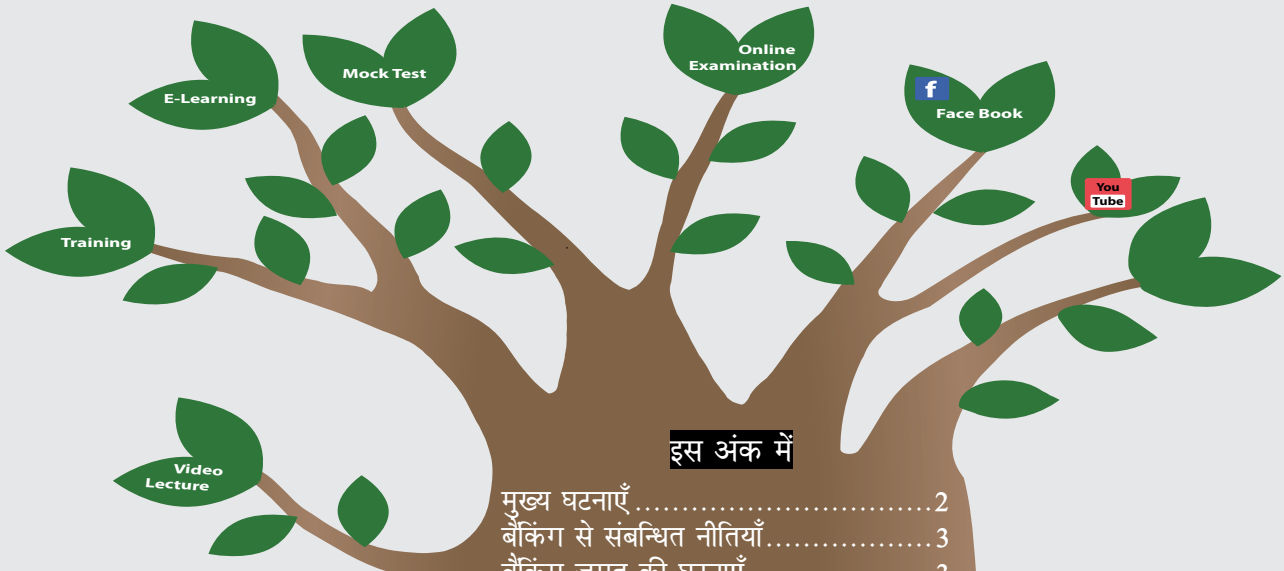

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
पूंजी बाजार.....3
बीमा.....4
विनियामक के कथन.....4
आर्थिक संवेष्टन.....5
नयी नियुक्तियाँ.....6
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....7
बाजार की खबरें.....8
नयी पहलकदमी.....9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत नामांकन

बैंकों में जमाराशि खातों, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं तथा सुरक्षित लॉकरों की वस्तुओं हेतु नामांकन के संबंध में, केंद्र सरकार ने 1 नवंबर, 2025 से लागू प्रावधान अधिसूचित किए हैं। अब ग्राहक अधिकतम 4 व्यक्तियों को उत्तरोत्तर अथवा एक साथ नामित कर सकते हैं। तथापि, सुरक्षित अभिरक्षा एवं सुरक्षित लॉकरों की वस्तुओं के लिए केवल उत्तरोत्तर नामांकनों की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक अनुदेश भी जारी किए हैं जिनमें बैंकों को कहा गया है कि नामांकन सुविधाओं के विषय में वे ग्राहकों को सूचित करें। यदि कोई ग्राहक नामांकन करने का विकल्प नहीं अपनाता तो बैंक को कोई पाबंदी लगाए बगैर खाता खोलना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक-समन्वित लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 का दायरा बढ़ा दिया है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक-समन्वित लोकपाल योजना, 2021 का दायरा बढ़ा कर इसमें कई विनियमित संस्थाओं को शामिल कर लिया है। ये हैं: (क) सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), राज्य सहकारी बैंक (एससीबी), केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक तथा पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तिथि को 50 करोड़ रुपए व इससे अधिक की जमाराशि रखने वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक; (ख) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को छोड़ कर वे सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) जो (i) जमाराशियाँ स्वीकार करने हेतु अधिकृत हैं, अथवा (ii) जिनका ग्राहक इंटरफेस है और जिनकी पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तिथि को 100 करोड़ रुपए व इससे अधिक की आस्ति है, (ग) योजनांतर्गत परिभाषित सभी प्रणाली भागीदार; और (घ) ऋण सूचना कंपनियाँ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 619वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 619वीं बैठक 31 अक्तूबर 2025 को आयोजित की गई। बोर्ड ने उभरती भू-राजनीतिक व वित्तीय बाजार घटनाओं तथा संबद्ध चुनौतियों सहित, सामने आने वाले वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य का आकलन किया। बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों के कार्य की समीक्षा की तथा चयनित केंद्रीय कार्यालय विभागों जिनमें उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग सहित निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम शामिल है, के कार्यकलापों का मूल्यांकन किया।

प्लेटफॉर्म सेवा भागीदारों हेतु राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) का विस्तार

सभी को पेंशन उपलब्ध कराना और पूरे समाज को पेंशन लाभयुक्त बनाना सुनिश्चित करने हेतु, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), राष्ट्रीय पेंशन योजना को अब प्लेटफॉर्म सेवा भागीदारों हेतु भी लागू करेगा। यह जोमैटो, स्विग्गी, ब्लिंकिट, अर्बन कंपनी, ओला, उबर, आदि जैसे एग्रीगेटरों जो सेवा पहुंचाने हेतु डिजिटल मध्यस्थ का कार्य करते हैं, के इकोसिस्टम का उपयोग करके किया जाएगा। यह समझते हुए कि इस खंड में सेवा भागीदार पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा ढांचे जिसमें सेवानिवृत्ति आयोजना शामिल है, से प्राय: बाहर रहते हैं, इस अनौपचारिक क्षेत्र के लिए एनपीएस ई-श्रमिक (प्लेटफॉर्म सेवा भागीदार) मॉडल शुरू किया जा रहा है। शीघ्र व सुगम कार्यान्वयन हेतु दो चरणों वाली पंजीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

एनपीएस में ऑनबोर्डिंग को आसान और समावेशी बनाने हेतु पीएफआरडीए द्वारा नवीन दिशानिर्देश जारी

राष्ट्रीय पेंशन योजना में अभिदाताओं की ऑनबोर्डिंग को सुगम और समावेशी बनाने हेतु पीएफआरडीए द्वारा ऐसी ऑनबोर्डिंग के लिए, संशोधित अभिदाता पंजीकरण फार्म (एसआरएफ) के साथ, विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। विविध अभिदाताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को डिजिटल और भौतिक तरीकों में बांटा गया है। डिजिटल और भौतिक दोनों ऑनबोर्डिंग हेतु, केवाईसी प्रक्रिया फेस-टू-फेस या गैर फेस-टू-फेस पद्धतियों से की जाएगी। अभिदाताओं की ऑनबोर्डिंग सीकेवाईसी पहचान अथवा कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) के जरिए मौजूदा बैंक की केवाईसी का उपयोग कर किया जा सकता है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2025 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

विदेशी व्यापार और भुगतानों में सुविधा हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियम, 2025 में संशोधन की घोषणा की है। भारत स्थित आईएफएससी में बैंकों में भारतीय निर्यातकों द्वारा रखे विदेशी मुद्रा खातों के अप्रयुक्त जमाशेष हेतु इसने प्रत्यावर्तन अवधि बढ़ा दी है। तदनुसार, अप्रयुक्त निधियों के प्रत्यावर्तन हेतु, निर्यातकों के पास वसूली की तिथि से तीन माह (पहले के एक माह की बजाय) का समय होगा। यह रियायत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2025 के तहत लागू है तथा आईएफएससी में रखे खातों के लिए अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करता है।

लघु निर्यात-आयात संव्यहारों हेतु ईडीपीएमएस/आईडीपीएमएस समाधान पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिपत्र जारी

एक्सपोर्ट डेटा प्रासेसिंग एंड मानिटरिंग सिस्टम (ईडीपीएमएस) तथा इंपोर्ट डेटा प्रासेसिंग एंड मानिटरिंग सिस्टम (आईडीपीएमएस) अंतर्गत प्रविष्टियों के समाधान और क्लोज़र के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए निदेशों का उद्देश्य लघु निर्यातकों तथा आयातकों हेतु अनुपालन के कार्य को आसान बनाना है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ईडीपीएमएस/आईडीपीएमएस में प्रति बिल 10 लाख रुपए मूल्य तक की वैल्यू संव्यवहार प्रविष्टियों को, अधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-I बैंकों द्वारा संबंधित निर्यातक अथवा आयातक से ली गई घोषणा के आधार पर बंद किया जा सकता है। निर्यातक तथा आयातक, कई लघु मूल्य बिलों को शामिल कर घोषणा पत्र प्रति तिमाही समेकित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। एडी बैंक, सरलीकृत प्रक्रिया के मद्देनज़र, ऐसे संव्यवहारों पर कार्यवाही हेतु लगाए गए प्रभारों की समीक्षा करेंगे। ये निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अधीन जारी किए गए हैं तथा तुरंत लागू हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

बैंक ग्राहक अमरीकी डॉलर भारत कनेक्ट से संबद्ध एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म के जरिए अमरीकी डॉलर खरीद सकते हैं

एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म को भारत कनेक्ट - जो भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) प्लेटफार्म का उपयोग करता है, से संबद्ध किया गया है। इस संबद्धता से, भागीदार बैंकों में बैंक खाताधारक व्यैक्तिक ग्राहक, भागीदार बैंकों के समर्थ डिजिटल चैनलों से तथा अन्य पक्ष अप्लिकेशन प्रदाताओं (टीपीएपी) के माध्यम से एफएक्स-रिटेल प्लेटफार्म पर पंजीकरण करा कर संव्यवहार कर सकेंगे। विदेशी मुद्रा जावक संप्रेषणों हेतु 'वैल्यू कैश' आधार पर भारतीय रुपयों के बदले अमरीकी डॉलर खरीदने, विदेशी मुद्रा कार्ड लोड करने तथा विदेशी मुद्रा नोटों की भौतिक सुपुर्दगी, जैसी सुविधाएं संबंधित भागीदार बैंकों द्वारा दी जा रही हो, के लिए ग्राहक एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।

अनिवासियों को विशेष रुपया वोस्त्रो खातों से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश करने की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशेष रुपया वोस्त्रो खाता (एसआरवीए) धारक भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों को उनके अतिरिक्त (सरप्लस) रुपया शेषों को कॉर्पोरेट ऋण लिखतों में निवेश करने की अनुमति दे दी है। पूर्व में, ऐसे निवेश केवल सरकारी प्रतिभूतियों में किए जा सकते थे। एसआरवीए धारक अब अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी), बांड तथा भारतीय कंपनियों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्रों में निवेश कर सकते हैं। निवेश, निवेश की सीमा तथा सामान्य मार्ग से एफपीआई निवेशों हेतु निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे। न्यूनतम अवशेष परिपक्वता और निर्गमवार सीमाएं एसआरवीए-आधारित निवेशों पर नहीं लागू होंगी।

पूंजी बाजार

टी+1, टी+0 समाधान चक्रों के लिए ब्लॉक (block) सौदों के ढांचे में सेबी द्वारा संशोधन

बड़े सौदे करने में पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ाने के लिए, सेबी ने इक्विटी नकद बाज़ारों में, टी+1 एवं वैकल्पिक टी+0 समाधान दोनों चक्रों के लिए ब्लॉक सौदों के ढांचे में संशोधन किया है। संशोधित ढांचे के अंतर्गत, निर्धारित ट्रेडिंग विंडो, कठोर मूल्य दायरे तथा वृहत्तर प्रकटीकरण मानदंड की शुरुआत की गई है। नवीन ढांचा 7 दिसंबर, 2025 से लागू होगा तथा दो भिन्न विंडो में कार्यान्वित किया

जा सकता है। आदेश, लागू संदर्भ दर के ±3% के भीतर ही होना चाहिए जिसमें आदेश न्यूनतम ₹25 करोड़ का हो। सभी व्यापारों में सुपुर्दगी अनिवार्य है, किसी स्क्वायरिंग ऑफ या प्रतिगमन की अनुमति नहीं होगी। स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक के नाम, ग्राहक पहचान, व्यापार की मात्रा तथा मूल्य सहित सभी ब्लॉक सौदों का विवरण व्यापार समय के बाद उसी दिन अवश्य प्रकाशित करना होगा।

बैंकेक्स, बैंकनिफ्टी और फिननिफ्टी पर डेरिवेटिव लाने हेतु सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के लिए समय सीमा निर्धारित की है

सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को अधिदेश दिया है कि वे बैंकेक्स, बैंकनिफ्टी और फिननिफ्टी जैसे गैर-बेंचमार्क सूचकांकों पर डेरिवेटिव के लिए पात्रता मानदंड लागू करें तथा मौजूदा बेंचमार्क सूचकांकों के संयोजन और भार को समायोजित करें। बैंकेक्स तथा फिननिफ्टी हेतु बदलाव एक बार में, 31 दिसंबर, 2025 तक किए जाने हैं। बैंकनिफ्टी के लिए, समायोजन चार मासिक किस्तों में 31 मार्च, 2026 तक करने होंगे ताकि इंडेक्स ट्रैकिंग करने वाली निधियों को क्रमिक रूप से पुनर्संतुलित किया जा सके। साथ ही, डेरिवेटिव व्यापार की पात्रता के लिए, गैर-बेंचमार्क सूचकांकों को कतिपय नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा जैसे कि न्यूनतम 14 घटक स्टॉक होना, यह सुनिश्चित करना कि सबसे बड़े स्टॉक का भार 20% से अधिक न हो और शीर्ष तीन घटकों का संयुक्त भार 45% के भीतर हो एवं शेष स्टॉक अपने आकार के आधार पर अवरोही भार क्रम का अनुसरण करें।

बीमा

1 अप्रैल, 2026 से बीमाकर्ता धोखाधड़ियों पर निगरानी के अद्यतन दिशानिर्देशों का पालन करेंगे: आईआरडीएआई

पूरे बीमा उद्योग में धोखाधड़ी के जोखिमों को पहचानने, रोकने, पता लगाने, रिपोर्ट करने तथा दूर करने के लिए आईआरडीएआई ने बीमा धोखाधड़ी निगरानी का नवीन ढांचा जारी किया है। नवीन ढांचा बीमा धोखाधड़ी निगरानी ढांचा, 2013 का स्थान लेगा तथा 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। यह ढांचा सभी बीमाकर्ताओं और वितरण माध्यमों पर लागू होगा। प्रत्येक बीमाकर्ता को सभी प्रकार की धोखाधड़ी बिलकुल न बर्दाश्त करने की नीति रखनी चाहिए और उनके पास कारोबार की प्रकृति, आकार, जोखिम प्रोफाइल, समग्र व्यवसाय रणनीति, उत्पाद, वितरण माध्यम एवं तकनीकी ढांचे के अनुरूप धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढांचा मौजूद होना चाहिए। कारोबार के प्रकार, कार्यकलाप, विगत अनुभव एवं प्रवृत्तियों के आधार पर उन्हें चेतावनी संकेतकों की अनिवार्यत: पहचान करनी चाहिए तथा इन्हें अपने परिचालनों में उपयुक्त रूप से शामिल करना चाहिए।

विनियामक के कथन

भारत का अगला ध्यान कृत्रिम मेधा, डिजिटल रुपया तथा डेटा समुच्चयन पर है: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, 2025 को संबोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) तथा फिनटेक नवोन्मेषों के जरिए समावेशी और संधारणीय विकास हेतु केंद्रीय बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा की। श्री मल्होत्रा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का डिजिटल कायाकल्प किस प्रकार तीन स्तरों नामत: पहचान, भुगतान एवं डेटा पर टिका है जो मिल कर देश के वित्तीय समावेशन प्रयासों का आधार निर्मित करते हैं। गवर्नर महोदय ने प्राथमिकता वाले उन पाँच क्षेत्रों का उल्लेख किया जो भारत की डिजिटल यात्रा के अगले चरण को साकार करेंगे। ये हैं- डेटा समुच्चयन, डिजिटल रुपया, आस्ति टोकेनाइजेशन, कृत्रिम मेधा (एआई) और डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम।

सार्वजनिक क्षेत्र की बुनियाद और निजी क्षेत्र के नवोन्मेष ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म (डीपीपी) को बल दिया है: श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

'डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के जरिए आर्थिक मजबूती का मार्ग प्रशस्त करना' विषय पर वशिंगटन डी. सी. में उच्च-स्तरीय संवाद मंच को संबोधित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि त्वरित भुगतान प्रणाली (एफपीएस) का विकास लोक नीति के प्रमुख उद्देश्यों जिनमें सभी के लिए सुरक्षित व दक्ष भुगतान प्रणालियाँ निर्मित करना, नकदी पर निर्भरता कम करना तथा डिजिटलीकरण को समर्थन देना शामिल है, के साथ जुड़ा है। भारत के डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आपस में संबद्ध डिजिटल व्यवस्थाओं की सुगठित, बहुस्तरीय प्रणाली से बने हैं जिसमें आधार से डिजिटल पहचान, यूपीआई माध्यम से तुरंत भुगतान प्रणालियाँ और डेटा सशक्तीकरण एवं सुरक्षा तंत्र (डीईपीए) के जरिए डेटा को सुरक्षित तरीके से साझा करना शामिल है। जहां सार्वजनिक क्षेत्र ने

अवसंरचना की बुनियाद स्थापित की है वहीं डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफार्म को निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से बल मिला है क्योंकि यह नवोन्मेष बढ़ाता है, प्रतियोगिता में वृद्धि करता है जिससे सेवा गुणवत्ता तथा उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर होते हैं।

समावेशन को बढ़ावा देना भारत का राष्ट्रीय ध्येय है: श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

वर्ल्ड सेविंग्स एंड रिटेल बैंकिंग इंस्टीट्यूट की भारतीय स्टेट बैंक में अध्ययन यात्रा के दौरान अपने वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने कहा कि समावेशन, नवोन्मेष का सर्वोच्च उद्देश्य है। तथापि असली कार्य, सुविधाओं को सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाना, गुणवत्ता सुधारना एवं टिकाऊ विश्वास निर्मित करना है। शिकायत समाधान की पारदर्शी प्रणाली एवं उपभोक्ता संरक्षण के स्पष्ट उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। परिभाषित टर्नअराउंड समय, सीमित देयता की सुरक्षा, दृश्यमान पारिश्रमिक ढांचा ग्राहकों को यह आश्वस्त करने के लिए आवश्यक हैं कि वे डिजिटल सेवाओं का सुरक्षापूर्ण उपयोग कर रहे हैं। सूक्ष्म बीमा और पेंशन उत्पादों का वितरण अब डिजिटल माध्यमों से हो रहा है जिससे अल्प आय वाले परिवारों की वित्तीय सुदृढ़ता बढ़ी है। श्री स्वामीनाथन ने आगे कहा कि वित्तीय संस्थानों को पूर्व सक्रिय दृढ़ सोच अपनानी चाहिए जिसमें डिजिटल जोखिम के प्रति जागरूकता हो तथा उनके अभिशासन ढांचे में सुरक्षा हो।

भारत को शीघ्र ही प्रमुख (emerged) बाजार का दर्ज़ा मिल सकता है; सुश्री पूनम गुप्ता, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

बीएफएसआई समिट 2025 में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर सुश्री पूनम गुप्ता ने कहा कि उभरते बाज़ारों को पूर्व में मैक्रोइकोनामिक स्थायित्व मुद्दों का सामना करना पड़ता था; अब उन्हें निरंतर विकास एवं अर्थपूर्ण रोजगार सृजन के प्रति वृहत्तर जोखिमो का सामना करना होता है। उनकी मुख्य चुनौती विकास के नए स्रोतों को प्राप्त करने की है। अन्य चुनौतियों में शामिल हैं: भारी लोक ऋण, अंडर इंप्लायमेंट की उच्च दर, चौड़ी लैंगिक खाई तथा बहुत सारे कामगारों का अल्प उत्पादक अनौपचारिक धंधों में नियोजित होना। उभरते बाज़ारों में 2000 के दशक में आर्थिक विकास में देखी गई तेजी वैश्विक व्यापार में तीव्र विस्तार से चालित थी। हाल के समय में, वैश्विक व्यापार को संरक्षणवाद की बढ़ती घटनाओं से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अत: विकास के घरेलू स्रोतों को वृहद भूमिका निभाने की आवश्यकता है। बार-बार संप्रेषण ने उम्मीदें बढ़ाने तथा भरोसा निर्मित करने में सहायता की है। हितधारकों के साथ संपर्क लगातार बना हुआ है जो मौद्रिक नीति को दोतरफा परामर्शी प्रक्रिया बनाती है। इस तरह के सामूहिक प्रयासों से आने वाले दशकों में भारत को उभरते बाजार से मुख्य बाजार बनने में अवश्य मदद मिलेगी।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग ने सितंबर 2025 के लिए मासिक आर्थिक समीक्षा जारी की है जिसकी मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- खुदरा मुद्रास्फीति पिछले माह के 2.07% से घट कर सितंबर 2025 में 1.54% रह गई है।
- वित्तवर्ष 26 के प्रथम छमाही में, देश के कुल निर्यात में वर्षानुवर्ष 4.4% की वृद्धि दर्ज की गई जबकि कुल आयातों में वर्षानुवर्ष 3.5% की वृद्धि हुई।
- अगस्त 2025 में औद्योगिक सूचकांक में 4.1% की वृद्धि हुई।
- अप्रैल-अगस्त 2025 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की नए रुपया ऋणों पर भारित औसत कर्ज़ दर (WALR) 51 आधार बिन्दु घट कर अगस्त 2025 में 8.75% रही।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बैंक ऋण में अगस्त 2024 में 15.1% वृद्धि की तुलना में अगस्त 2025 में 18.5% (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि देखी गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के भीतर, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को प्रदत्त ऋण में अगस्त 2025 में 20.9% (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि दर्ज़ की गई है जो अगस्त 2024 में 13.4% (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि से अधिक है।
- अगस्त 2025 में, सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह घट कर 6.0 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया जिससे निवल एफडीआई भी कम हो गया।
- जून 2025 के आखिर में भारत पर 747.2 बिलियन अमरीकी डॉलर का विदेशी ऋण रहा जो मार्च 2025 के आखिर में 735.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से ऊपर है।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री संजय कुमार हांसदा	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्रीमती सोनाली सेनगुप्ता	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार		
मद	यथा 31 अक्तूबर, 2025	
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर
	1	2
1 कुल भंडार	6123031	689733
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5012117	564591
1.2 स्वर्ण	903062	101726
1.3 एसडीआर	165514	18644
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	42338	4772

विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर) में प्रवृत्तियाँ

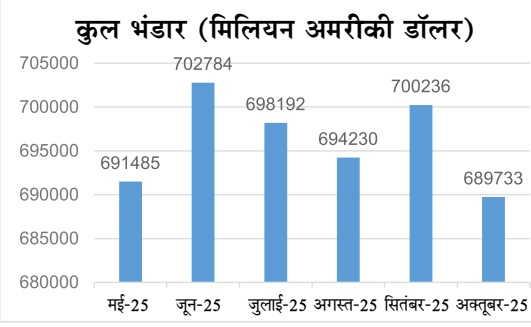

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

31 अक्तूबर, 2025 की स्थिति अनुसार एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें, नवंबर, 2025 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	4.27
SONIA (जीबीपी)	3.9693
STR (यूरो)	1.931
TONA (जापानी येन)	0.477
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.5200
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	3.60
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.047717

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
OCR (न्यूज़ीलैंड डॉलर)	2.5
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.632
SORA (सिंगापुर डॉलर)	0.9414
HONIA (हांगकांग डॉलर)	3.11667
MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.5380

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

ब्लॉक सौदा

ब्लॉक सौदा, क्रेता अथवा विक्रेता में से किसी को अलाभकर स्थिति में रखे बिना एकल संव्यहार के जरिए बड़ा सौदा पूरा करना होता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER), कीमत अवस्फीतक अथवा लागत सूचकांक द्वारा विभाजित नामिनल प्रभावी विनिमय दर (कई विदेशी मुद्राओं के भारित औसत के समक्ष एक मुद्रा के मूल्य की माप) होती है। यह विदेशी मुद्राओं के एक समूह की तुलना में एक देश की मुद्रा की तुलनात्मक मजबूती का माप है जो वास्तविक क्रय शक्ति दर्शाने हेतु मुद्रास्फीति को हिसाब में लेकर होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

नवंबर 2025 माह हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
एमएसएमई वित्तपोषण व पुनर्गठन पर कार्यक्रम	10-12 नवंबर, 2025	वर्चुअल
ऋण मूल्यांकन,निगरानी एवं वसूली पर कार्यक्रम	10-12 नवंबर, 2025	वर्चुअल
आंतरिक लेखापरीक्षा: जोखिम आधारित लेखापरीक्षा पर कार्यक्रम	11-12 नवंबर, 2025	वर्चुअल
निवारक सतर्कता और धोखाधड़ी प्रबंधन पर कार्यक्रम	11-13 नवंबर, 2025	वर्चुअल
कार्यपालक नेतृत्व विकास पर कार्यक्रम	17-19 नवंबर, 2025	लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर, आईआईबीएफ
खुदरा ऋण उत्पादों के विपणन और इसके मूल्यांकन पर कार्यक्रम	18-19 नवंबर, 2025	वर्चुअल
प्रमाणित ऋण पेशेवरों हेतु परीक्षा उपरांत प्रशिक्षण	18-20 नवंबर, 2025	वर्चुअल
तुलन पत्र अध्ययन और अनुपात विश्लेषण पर कार्यक्रम	24-25 नवंबर, 2025	वर्चुअल
बैंकों/वित्तीय संस्थानों में डिजिटल बदलावों तथा उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्यक्रम	26-28 नवंबर, 2025	वर्चुअल
शाखाओं हेतु लाभ आयोजना व टर्नअराउंड रणनीतियों पर कार्यक्रम	28-29 नवंबर, 2025	वर्चुअल

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ ने 'फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल बैंकिंग' पर एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम शुरू किया है

आईआईबीएफ ने 'फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल बैंकिंग' पर एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के द्वारा अनुमोदित है। यह कौशल वृद्धि श्रेणी का चार क्रेडिट वाला पाठ्यक्रम है जो विद्यार्थियों को खुदरा बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न कार्य भूमिकाओं में प्रभावी प्रदर्शन हेतु वांछित आवश्यक कौशलों तथा ज्ञान से युक्त करने हेतु तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में नामांकन 31 जनवरी, 2026 तक खुला है। अधिक जानकारी और नामांकन के लिए https://www.iibf.org.in/NCVET.asp पर जाएँ।

अंतर-बैंक क्विज प्रतियोगिता - बैंकिंग चाणक्य का 5वां संस्करण

अंतर-बैंक क्विज प्रतियोगिता - बैंकिंग चाणक्य 2025 के 5वें संस्करण के लिए पंजीकरण 18 अक्तूबर, 2025 से 22 नवंबर, 2025 तक खुला है। आयोजन में चार चरण होंगे: प्राथमिक चरण, क्वार्टर फाइनल चरण, ज़ोनल सेमी-फाइनल और राष्ट्रीय फाइनल। अद्यतन जानकारी के लिए https://www.iibfbankingchanakya.com/ देखें।

'सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट' पर आईआईबीएफ द्वारा मिश्रित पाठ्यक्रम की शुरुआत

आईआईबीएफ ने 'सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजमेंट' पर मिश्रित पाठ्यक्रम आरंभ किया है। पाठ्यक्रम में तीन प्रश्नपत्र शामिल हैं: वित्तीय आयोजना एवं कर आयोजना, निवेश आयोजना, आस्ति प्रबंधन और और विनियामक वातावरण, जोखिम प्रबंधन और बीमा, सेवानिवृत्ति एवं संपदा आयोजना। इसके साथ तीन दिनों का प्रशिक्षण होगा। ज्यादा जानकारी https://www.iibf.org.in/ पर उपलब्ध है।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय

अक्तूबर-दिसंबर 2025 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय 'बैंकिंग में उभरती प्रौद्योगिकियाँ' है। उप-विषय हैं: जेनरेटिव कृत्रिम मेधा (एआई) के अनुप्रयोग, नैतिक एआई, धोखाधड़ी का पता लगाना और पूर्व चेतावनी संकेत उत्पन्न करना; परियोजना मूल्यांकन तथा ऋण मूल्यांकन हेतु प्रौद्योगिकियाँ।

परीक्षाओं हेतु महत्त्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में कट-ऑफ तिथि

संस्थान की एक प्रथा है कि प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक (कों) द्वारा जारी निशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी से खुद को अवगत रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से परीक्षाओं की वास्तविक तिथि तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के मार्च से अगस्त की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 31 दिसंबर तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के सितंबर से फरवरी की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 30 जून तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा।

बाजार की खबरें

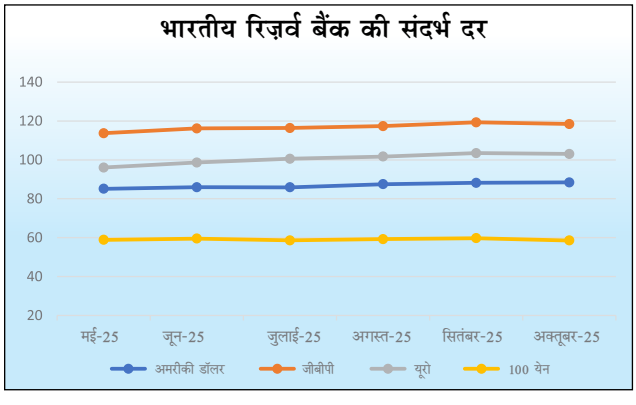

स्रोत: एफबीआईएल

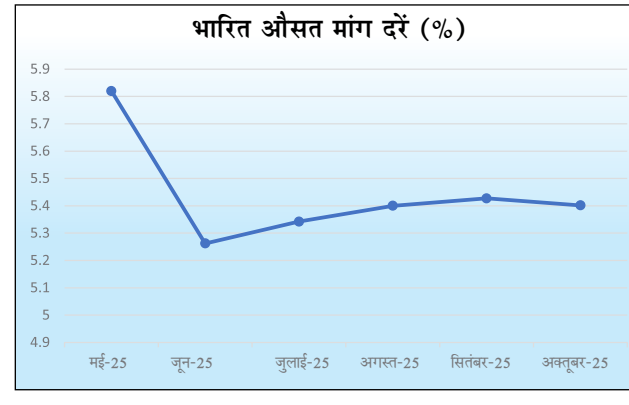

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

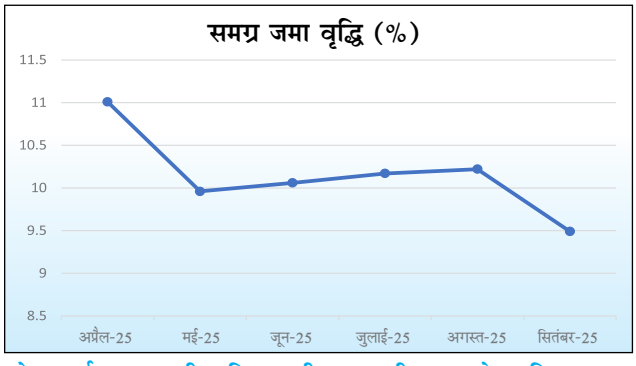

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर 2025

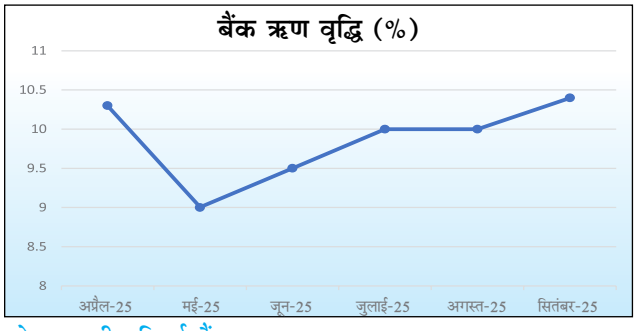

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

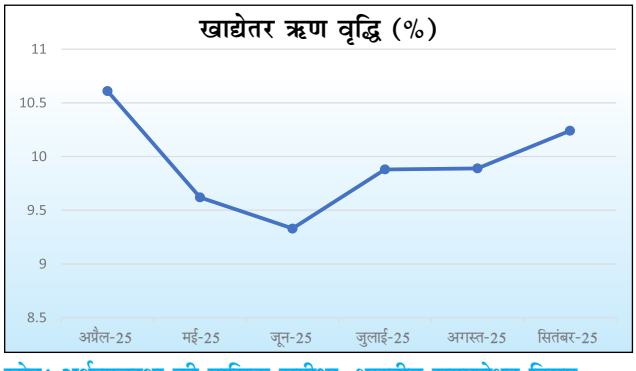

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर 2025

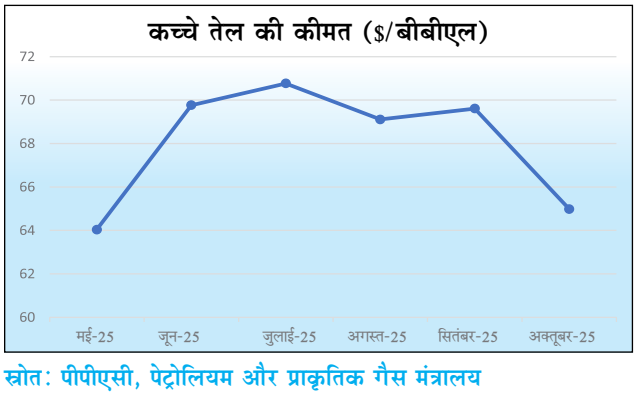

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

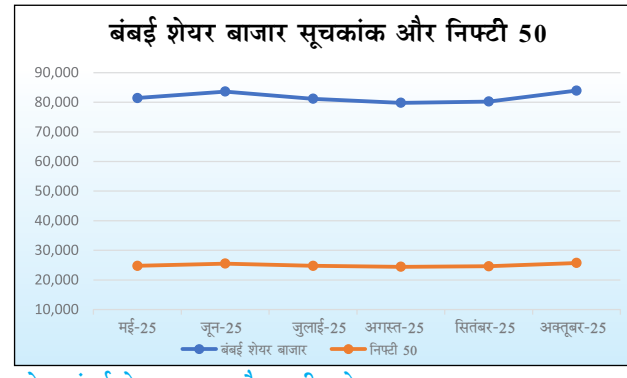

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

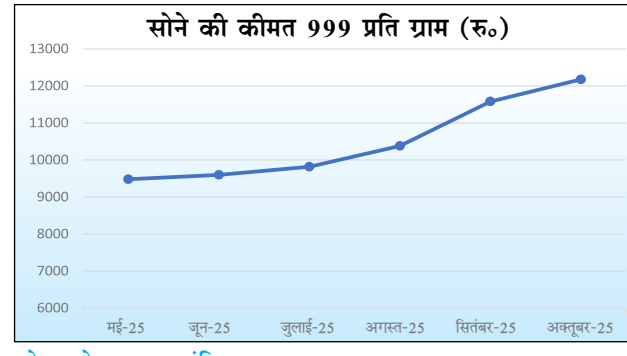

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई–मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in